

**न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा**

पीठासीन अधिकारी :- रणजीत कुमार आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :- 10/2021

1. महेन्द्र पुत्र बालदास पुत्र नत्थूदास जाति बैरागी साकिन बडोपल हाल चक 2 एल.बी.एम झूरियावाला तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ (राज.)।
2. भीमसेन पुत्र बालदास पुत्र नत्थूदास जाति बैरागी साकिन बडोपल हाल चक 2 एल.बी.एम झूरियावाला तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ (राज.)।
3. कालूराम पुत्र बालदास पुत्र नत्थूदास जाति बैरागी साकिन बडोपल हाल चक 2 एल.बी.एम झूरियावाला तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ (राज.)।
4. कृष्ण पुत्र बालदास पुत्र नत्थूदास जाति बैरागी साकिन बडोपल हाल चक 2 एल.बी.एम झूरियावाला तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ (राज.)।
5. सुभाष पुत्र बालदास जाति बैरागी साकिन बडोपल हाल चक 2 एल.बी.एम झूरियावाला तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ (राज.)।
6. भगवानाराम पुत्र बालदास जाति बैरागी साकिन बडोपल हाल चक 2 एल.बी.एम झूरियावाला तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ (राज.)।
7. कृष्णलाल पुत्र दुलदास पुत्र नत्थूदास जाति बैरागी साकिन बडोपल हाल चक 2 एल.बी.एम झूरियावाला तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ (राज.)।
8. मोहनलाल पुत्र दुलदास पुत्र नत्थूदास जाति बैरागी साकिन बडोपल हाल चक 2 एल.बी.एम झूरियावाला तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ (राज.)।
9. सुभाष चन्द्र पुत्र प्यारेलाल पुत्र दुलदास जाति बैरागी साकिन बडोपल हाल चक 2 एल.बी.एम झूरियावाला तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ (राज.)।
10. आत्माराम पुत्र प्यारेलाल पुत्र दुलदास जाति बैरागी साकिन बडोपल हाल चक 2 एल.बी.एम झूरियावाला तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ (राज.)।
11. प्रेमकुमार पुत्र प्यारेलाल पुत्र दुलदास जाति बैरागी साकिन बडोपल हाल चक 2 एल.बी.एम झूरियावाला तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ (राज.)।
12. राजेन्द्र पुत्र दानादास पुत्र नत्थूदास जाति बैरागी साकिन बडोपल हाल चक 2 एल.बी.एम झूरियावाला तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ (राज.)। -- वादीगण

बनाम्

1. दुलदास पुत्र नत्थूदास जाति बैरागी साकिन बडोपल हाल चक 2 एल.बी.एम झूरियावाला तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ (राज.)।
2. दानादास पुत्र नत्थूदास जाति बैरागी साकिन बडोपल हाल चक 2 एल.बी.एम झूरियावाला तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ (राज.)।
3. ओमप्रकाश पुत्र नत्थूदास जाति बैरागी साकिन बडोपल हाल चक 2 एल.बी.एम झूरियावाला तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ (राज.)।
4. मामकोरी पत्नी प्यारेलाल पुत्र दुलदास पुत्र नत्थूदास जाति बैरागी साकिन बडोपल हाल चक 2 एल.बी.एम झूरियावाला तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ (राज.)।

17.08.2022  
उपखण्ड अधिकारी  
(राजस्व) पीलीबंगा

- (वाद संख्या 10/2021 अनवान महेन्द्र आदि बनाम दुलदास आदि)
5. मीरां पत्नी दानादास पुत्र नत्थूदास जाति बैरागी साकिन बडोपल हाल चक 2 एल.बी.एम झूरियांवाला तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ (राज.)।
  6. माया रानी पुत्री दानादास पुत्र नत्थूदास जाति बैरागी साकिन बडोपल हाल चक 2 एल.बी.एम झूरियांवाला तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ (राज.)।
  7. मन्जू रानी पुत्री दानादास पुत्र नत्थूदास जाति बैरागी साकिन बडोपल हाल चक 2 एल.बी.एम झूरियांवाला तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ (राज.)।
  8. तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़। --प्रतिवादीगण


### दावा अन्तर्गत धारा 88 बाबत घोषणा

निर्णय दिनांक :- 17/01/2022

वादीगण की ओर से श्री अर्जुन सिंह नरूका अधिवक्ता, प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 की ओर से श्री पवन कुमार मोखरिया अधिवक्ता तथा राजपैरोकार तहसीलदार पीलीबंगा इस वाद में आज दिनांक को रणजीत कुमार (आर.ए.एस.) एवं उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, पीलीबंगा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश किया जाकर डिक्री की जाती है कि उभयपक्ष के मध्य हुए राजीनामा के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 के अन्तर्गत वाद में वर्णित तहसील पीलीबंगा के चक 9 एस.टी.बी के खाता स. 78/66 के प.न. 43/359 के किला न. 16 ता 20, 21/21.228, 22/21.228, 23/21.228, 24/21.228, 25/21.228 की कुल 2.405 है. कमाण्ड, चक 9 बी.आर.पी के खाता स. 34/32 प.नं. 43/360 के कि.नं. 4 ता 7, 14 ता 17, 24/21.190, 25 की कुल 2.467 है. नहरी, प.न. 44/360 के किला न. 11 ता 13, 18/2/0.063, 19, 20 की 1.328 हैक. नहरी कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है, में वादी स. 1 ता 6 महेन्द्र, भीम सैन, कालूराम, कृष्ण, सुभाष, भगवानाराम पुत्र बालदास पुत्र नत्थूदास को उक्त कृषि भूमि मे से 1/3 हिस्सा कृषि भूमि का खातेदार घोषित किया जाता है, वादी स. 7, 8 कृष्णलाल, मोहनलाल पुत्र दूलदास पुत्र नत्थूदास को उक्त कृषि भूमि के 1/3 मे से 2/3 हिस्सा का खातेदार घोषित किया जाता है, प्रतिवादी स. 9 ता 11 सुभाष, आत्माराम, प्रेम कुमार पुत्र प्यारे लाल पुत्र दुलदास को उक्त कृषि भूमि के 1/3 हिस्से मे से 1/3 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाता है, प्रतिवादी स. 12 राजेन्द्र पुत्र दानादास पुत्र नत्थूदास को उक्त कृषि भूमि के 1/3 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाता है, तथा उक्त कृषि भूमि मे से नत्थूदास पुत्र फरसदास का नाम व हिस्सा कलमजन किया जाता है। आदेशानुसार डिक्री जारी हो। तहसीलदार (राजस्व) पीलीबंगा को आदेशित किया जाता है कि उक्त भूमि पर किसी अन्य न्यायालय का स्थगन नहीं हो तथा भूमि रहन मुक्त हो तो नियमानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे।

खर्चा फरीकैन अपना-अपना वहन करेंगें। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

आदेश आज दिनांक 17/1/2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

  
(रणजीत कुमार)  
सहायक कलक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी एवम्  
पदेन सहायक कलक्टर  
पीलीबंगा